

अति आवश्यक
स्पीड पोस्ट एवं फैंक्स

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक- एफ.18(15)2012/जॉच/प्रमुवसं/

दिनांक:-

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टी.आर. ई.ई./कार्य आयोजना एवं वन बन्दोवरत,
राज0 जयपुर
अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज0 जयपुर
परियोजना निदेशक, राज0 वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, जयपुर-2
मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/भरतपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/अजमेर/बनास परियोजना जयपुर/
आर.वी.पी. कोटा/विभागीय कार्य जयपुर/वन्य जीव कोटा/वन्य जीव जयपुर/वन बर्धन
जयपुर/वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर/तेन्दू पत्ता, जयपुर/वन्य जीव, भरतपुर/वन्य
जीव जोधपुर/वन्य जीव, उदयपुर
उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

विषय:- सहायक वन संरक्षक से उप वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति बाबत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र संख्या एफ.19()2013/कार्मिक-राज/प्रमुवसं/ 319-50
दिनांक 17.1.2013, 1513-1534 दिनांक 26.4.2013 एवं एफ.18(1) 2013/ जॉच/
प्रमुवसं/162-86 दिनांक 22.1.2013 व एफ.18(1)2013/ जॉच/ प्रमुवसं/ 405-24
दिनांक 18.2.2013,

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस कार्यालय के संदर्भित पत्रों की ओर आकर्षित कर
निवेदन है कि वांछित संकलित सूचना आपके कार्यालय से अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई है, जो उचित
नहीं है।

पूर्व में आपके कार्यालय एवं अधीनस्थ वन मण्डलों से प्राप्त सूचना एवं इस कार्यालय में
उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर कम संख्या 1 से 90 तक अंकित सहायक वन संरक्षकों के विरुद्ध
लम्बित जॉच एवं गत सात वर्ष (दिनांक 1.4.2006 से आज दिनांक तक) में दिये गये दण्ड तथा
पुलिस/ए.सी.बी. प्रकरणों की सूचना क्रमशः प्रपत्र अ एवं ब में तैयार कर आपको भिजवायी जा रही
है।

कृपया उक्त सूचना की पुष्टि आपके कार्यालय में एवं आपके अधीनस्थ वन मण्डल कार्यालयों
में उपलब्ध रिकार्ड एवं संबंधित अधिकारियों के सेवाभिलेख से करना सुनिश्चित करें। पुष्टि करने
उपरान्त सूचना में कोई फेरबदल होने/नहीं होने की सूचना व्यक्तिशः इस कार्यालय में दि. 27.5.2013
तक अवश्यमेव भिजवाना सुनिश्चित करें। कृपया सूचित रहे कि इस सूचना के आधार पर विभागीय
पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न:- प्रपत्र अ एवं ब कुल किता...16..

भवदीय,

EP

(एस.एन.सिंह)

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक(मुख्यालय)

राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक- एफ.18(15)2012/जॉच/प्रमुवसं/1231-32

दिनांक:- 22-5-2013

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक(संस्थापन) को जॉच शाखा के सम संख्यक यू0 ओ0 नोट क्रमांक
1131 दिनांक 13.5.2013 के क्रम में श्री ए.के.ओझा की राज्य सरकार द्वारा अपील स्वीकार कर
लिये जाने का समावेश करते हुए एवं अन्य प्रकरणों की अद्यतन सूचना संलग्न आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, अरावली भवन, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है
कि उक्त पत्र मय संलग्नक विभागीय वेबसाइट पर जारी करने का कष्ट करें।

(डॉ0 ओ0 पी0 सिंह)

मुख्य वन संरक्षक(मुख्यालय)

राजस्थान, जयपुर।

सहायक वन संरक्षक, राजस्थान वन सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित विभागीय जॉच एवं गत 7 वर्षों (1.4.06 एवं इसके पश्चात्) में दिये गए दण्ड की सूचना

प्रपत्र "अ"

क. सं.	नाम अधिकारी	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	नियम	आरोप पत्र जारी होने का क्रमांक व दिनांक	जॉच अधिकारी की नियुक्ति तिथि	दिये गये दण्ड का विवरण	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री धर्मपाल सिंह (एस.सी.)	वर्ष 1985 में क्षेत्रीय झुन्झुनू के पद पर कार्य करते हुए चिमनी की पक्की ईंटे खरीद कर व डुलाई के फर्जी बिल बनाकर रोकड बही में भुगतान दर्शाकर रुपये 7350/- राजकीय राशि का अपहरण किया।	16	प.8(422)जॉच/ नि./जोध/181 दिनांक 29.3.90	-	-	प्रकरण राज्य स्तर पर विचाराधीन है।
2	श्री बृजमोहन शर्मा	वन मण्डल अलवर की रेन्ज लक्ष्मणगढ़ के वृक्षारोपण नांगल ए तथा बी वर्ष 1993 से 1995 में विकास कार्यों में अनियमितता तथा कम क्षेत्रफल में कार्य कराकर राज्य सरकार को रुपये 2,31,083/- की वित्तीय हानि पहुँचाना।	16	एफ.1(208)का/ क-3/2000 दि. 6.11.02	प.1(208)का/ क-3/2000 दि. 16.5.11	-	अति. आयुक्त (प्रथम) विभागीय जॉच को जॉच अधिकारी नियुक्त किया हुआ है। प्रकरण जॉच अधिकारी के विचाराधीन है।
3	श्री रवि कुमार शर्मा	एल.सी.आर. प्रकरण संख्या 272/91 में लापरवाही बरतने।	16	प.1(127) का/ क-3/ 07 दि. 24.8.09	2.8.2010	-	प्रकरण कार्मिक विभाग में विचाराधीन है।
		एल.सी.आर. प्रकरण सं 235/91 में श्री राधेश्याम के पक्ष में अवार्ड पारित होने।	17	प.1(127)का/ क-3/08 दि. 27.12.10	-	-	प्रकरण कार्मिक विभाग में विचाराधीन है।
4	श्री जय प्रकाश	-	-	-	-	-	-
5	श्री प्रमोद कुमार पाण्डे	-	-	-	-	-	-
6	श्री महेश चन्द गुप्ता	-	-	-	-	-	-
7	श्री करण सिंह	-	-	-	-	-	-
8	श्री रामावतार शर्मा	-	-	-	-	-	-
9	श्री हरलाल सिंह	-	-	-	-	-	-
10	श्री वीरपाल सिंह राणा	-	-	-	-	-	-
11	श्री ज्योति प्रकाश भाटी	-	-	-	-	-	-
12	श्री एल.एन.बंसल	-	-	-	-	-	-
13	श्री हनुमानाराम	-	-	-	-	-	-
14	श्री मनफूल सिंह	-	-	-	-	-	-

क. सं.	नाम अधिकारी	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	नियम	आरोप पत्र जारी होने का क्रमांक व दिनांक	जॉच अधिकारी की नियुक्ति तिथि	दिये गये दण्ड का विवरण	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
15	श्री सेडूराम यादव	—	—	—	—	—	—
16	श्री बेगाराम जाट	—	—	—	—	—	—
17	श्री राजकुमार जैन	—	—	—	—	—	—
18	श्री गणेश कुमार वर्मा	—	—	—	—	—	—
19	श्री सुभाष अग्रवाल	—	—	—	—	—	—
20	श्री सुहेल मजबूर	झाडोल रेन्ज में अवैध कटान के कारण राज्य सरकार को वर्ष 87-88 में रुपये 93,626/- की आर्थिक हानि	16	प.1(247) कार्मिक/क-3 /96 दिनांक 17.12.1996	—	कार्मिक (क-3) विभाग के आदेश सं० प.1(247) कार्मिक/क-3/जॉच/1996 दिनांक 17.7.09 से आरोप सिद्ध पाये जाने पर तीन वेतन वृद्धियाँ संवयी प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया।	श्री सुहेल मजबूर द्वारा राज्य सरकार के दण्डादेश दिनांक 17.7.09 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट सं. 7349/11 सुहेल मजबूर बनाम राज्य सरकार दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में निर्णय दिनांक 2.11.2012 पारित करते हुए दण्डादेश दि.17.7.09 को निरस्त कर दिया। राज्य सरकार के पत्रांक प.16()वन/12 दिनांक 21.2.2013 द्वारा इस कार्यालय को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दि. 2.11.2012 के विरुद्ध अपील नहीं किये जाने का निर्णय लिया जाना अवगत कराया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक एफ.18() 95/जॉच/प्रमुखसं/722 दि. 15.3.13 द्वारा राज्य सरकार से पारित निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं किये जाने पर आसामी कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया है।
21	श्री नरपत सिंह चौधरी	—	—	—	—	—	—
22	श्री सत्यपाल ख्यालिया	—	—	—	—	—	—
23	श्री महेन्द्र सिंह राठौड़	—	—	—	—	—	—
24	श्री कुमार स्वामी गुप्ता	—	—	—	—	—	—
25	श्री उदयवीर सिंह	—	—	—	—	—	—
26	श्री पदम सिंह राठौड़	—	—	—	—	—	—
27	श्री किशन सिंह भाटी	—	—	—	—	—	—

Handwritten signature

क. सं.	नाम अधिकारी	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	नियम	आरोप पत्र जारी होने का क्रमांक व दिनांक	जॉच अधिकारी की नियुक्ति तिथि	दिये गये दण्ड का विवरण	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
28	श्री प्रताप सिंह चुण्डावत	—	—	—	—	—	—
29	श्री मोरध्वज सिंह	—	—	—	—	—	—
30	श्री योगेन्द्र सिंह कालवी	—	—	—	—	—	—
31	श्री अजीत कुमार ओझा	राज्य कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतना तथा उच्चाधिकारी के आदेशों की अवहेलना/ अनुशासनहीनता बरतना एवं गुमराह कर अपने आचरण को संदिग्धता के घेरे में लाना।	17	एफ. 4(22)02/ जॉच/ प्रमुखसं/ वानिकी / 748-49/ सी दिनांक 17.9.03	—	मुखसं, वाविप, कोटा ने आदेश क्रमांक एफ.4(22) 02/ जॉच/ मुखसं/ वावि/ 7 900-906 दिनांक 21.8.04 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचित प्रभाव से रोके जाने का दण्ड दिया गया।	श्री अजीत कुमार ओझा मुखसं द्वारा मुखसं, वाविप, कोटा के निर्णय आदेश दिनांक 21.8.04 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2578 दिनांक 11.5.05 द्वारा अपील प्रकरण शासन सचिव, वन विभाग, राज0 जयपुर को भिजवाया गया। जिसके क्रम में शासन उप सचिव, वन विभाग, जयपुर ने पत्र क्रमांक प. 11(3)वन/ 2005 जयपुर दि.2.11.2007 के संलग्न कार्मिक (क-3/ जॉच) विभाग के आदेश क्रमांक प.5(2)(7) कार्मिक/ क-3/ जॉच/ दि. 21.11.07 द्वारा मुखसं, वाविप, कोटा को विभागाध्यक्ष नहीं मानते हुए उनके द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 21.8.04 को अपास्त करते हुए प्रकरण सक्षम स्तर से नये सिरे से अनुशासनिक कार्यवाही वास्ते रिमाण्ड किये जाने के एतद्वारा आदेश जारी किये गये। चूँकि कार्मिक विभाग द्वारा उनके आदेश क्रमांक प.3(2) कार्मिक/ क-3/ 96 दिनांक 22.5.96 द्वारा मुखसं, वाविप, जयपुर को सी.सी.ए. नियमों में विभागाध्यक्ष घोषित किया गया था तदनुपशान्त अधिकारी एवं कार्यालय का मात्र मुख्यालय ही राज्यादेश प.13(3) वन/ 95 दिनांक 7.4.97 से परिवर्तित कर कोटा कर दिया गया था अतः मात्र मुख्यालय परिवर्तित हो जाने से मुख्य वन संरक्षक, वानिकी विकास परियोजना, कोटा

							को सी.सी.ए. नियमों में विभागाध्यक्ष के तौर पर प्राधिकृत होने को प्रभाव शून्य मानना उचित नहीं प्रतीत होना उल्लेखित करते हुए उक्त प्रकरण में पुनर्विचार कर अग्रिम निर्देश प्रदान करने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4760 दि. 15.12.07, 2718 दिनांक 23.8.08 एवं 3105 दि. 08.11.12, 530 दि. 26.2.2013 से राज्य सरकार से निवेदन किया गया। प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा उनके पत्रांक प.12(10)वन/12 दि. 13.5.13 से पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
		रेन्ज कोटपूतली एवं रेन्ज खैरथल से संबंधित कार्य स्थलों के 24 पीस रेट बिल्स रु0 2,54,887/- रेन्जों से फर्जी गैंग संगठन के आधार पर तैयार किये गये।	16	प.1(90)कार्मिक/क-3/03 दि. 17.5.2004	-	कार्मिक विभाग के आदेश संख्या एफ.1(190)कार्मिक/क-3/2003 दि. 14.7.08 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियाँ असंचित प्रभाव से रोकी जाने का दण्ड दिया गया। प्रकरण में राज्य सरकार के अपील आदेश क्रमांक प. 5(2)(62)कार्मिक/क-3/08 दिनांक 26.11.08 द्वारा अपील को खारिज किया।	श्री अजीत कुमार ओझा द्वारा सी.सी.ए. नियमों के नियम 34 के अन्तर्गत महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत पुनरावलोकन याचिका दिनांक 11.8.2010 पेश की गई। राज्य सरकार कार्मिक (क-3/जॉच) विभाग के आदेश क्रमांक प. 5(2)(53)कार्मिक/क-3/2010 जयपुर दिनांक 8.5.2013 से उक्त पुनरावलोकन याचिका को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पारित दण्डादेश दिनांक 14.7.2008 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अपील आदेश दिनांक 26.11.08 को अपास्त किया गया।
		साहिबी नदी परियोजना, शाहपुरा के 8.82 लाख के प्रकरण में रु0 2,15,641/- के बिल्स समय पर चेक कर सत्यापन नहीं करना।	16	एफ.1(221) कार्मिक/क-3/08 दि. 30.7.08	अति. आयुक्त (प्रथम) विभागीय जॉच 10.12.09	विभागीय जॉच विचाराधीन है।	प्रकरण कार्मिक विभाग में विचाराधीन है।
32	श्री रफीक मोहम्मद	-	-	-	-	-	-
33	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	-	-	-	-	-	-
34	श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	-	-	-	-	-	-
35	श्री आनंद स्वरूप अग्निहोत्री	-	-	-	-	-	-
36	श्री हरिकृष्ण सारस्वत	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

क. सं.	नाम अधिकारी	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	नियम	आरोप पत्र जारी होने का क्रमांक व दिनांक	जॉच अधिकारी की नियुक्ति तिथि	दिये गये दण्ड का विवरण	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
37	श्री देवेन्द्र प्रताप जागावत	—	—	—	—	—	—
38	श्री संजय प्रकाश भादू	—	—	—	—	—	—
39	श्री रमेश कुमार मालपानी	—	—	—	—	—	—
40	श्री राजेन्द्र कुमार हुडा	—	—	—	—	—	—
41	श्री जिग्नेश शर्मा	—	—	—	—	—	—
42	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	—	—	—	—	—	—
43	श्री सुदर्शन शर्मा	—	—	—	—	—	—
44	श्री नन्द लाल प्रजापत	बारां जिले के सोरसन निषिद्ध क्षेत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने।	16	प.1(133)का/क-3/ 2002 दि. 19.9.02	आयुक्त (द्वितीय) विभागीय जॉच जयपुर	—	प्रकरण कार्मिक विभाग में विचाराधीन है।
45	श्री मुकेश सेनी	—	—	—	—	—	—
46	श्री वीरेन्द्र सिंह जोरा	—	—	—	—	—	—
47	श्री कालीचरण वर्मा	—	—	—	—	—	—
48	श्री जय किशन जाट	—	—	—	—	—	—
49	श्री अर्जुन दान चारण	—	—	—	—	—	—
50	श्री विपिन कुमार गुप्ता	—	—	—	—	—	—
51	श्री करण सिंह टांक	—	—	—	—	—	—
52	श्री धर्मवीर सिंह	—	—	—	—	—	—
53	श्री हनुवंत सिंह	—	—	—	—	—	—
54	श्री अशोक कुमार पारीक	—	—	—	—	—	—
55	श्री कमल किशोर सोनी	—	—	—	—	—	—

क. सं.	नाम अधिकारी	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	नियम	आरोप पत्र जारी होने का क्रमांक व दिनांक	जॉच अधिकारी की नियुक्ति तिथि	दिये गये दण्ड का विवरण	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
56	श्री इन्द्रपाल सिंह पूनियां	दिनांक 26.7.95 से 20.3.98 तक क्षेत्रीय वन अधिकारी राजगढ़(चूरु) के पद पर कार्यरत होने पर एल.सी. आर. 234/95 में प्रभारी अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन नहीं करने से डिफ़ीटल राशि रु0 79458/- की हानि पहुंचाना।	17	—	—	—	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2036 दिनांक 11.7.2011 से सी.सी.ए. 17 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये गये हैं। राज्य सरकार के पत्र 13(5)वन/2011 दिनांक 7.6.12 से अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्तावों के संबंध में 6 बिन्दुओं की सूचना चाही गई इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा वांछित पाँच बिन्दुओं की सूचना मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर से प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.9.12 से राज्य सरकार को प्रेषित की गई। बिन्दु संख्या 6 की सूचना भेजने हेतु अन्तिम बार इस कार्यालय के अ.शा. पत्रांक 790 दिनांक 1.4.13 से मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर को स्मरण कराया गया है।
57	श्री रंगलाल जाट	—	—	—	—	—	—
58	श्री कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव	—	—	—	—	—	—
59	श्री धनश्याम शर्मा	—	—	—	—	—	—
60	श्री प्रेम सिंह शेखावत	—	—	—	—	—	—
61	श्री गोपाल बिहारी झालानी	—	—	—	—	—	—

क. सं.	नाम अधिकारी	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	नियम	आरोप पत्र जारी होने का क्रमांक व दिनांक	जॉच अधिकारी की नियुक्ति तिथि	दिये गये दण्ड का विवरण	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
62	श्री रमेश चौपडा	—	—	—	—	—	—
63	श्री कौशल किशोर सक्सेना	—	—	—	—	—	—
64	श्री कृष्णकान्त शर्मा						
65	श्री सहस्त्र करणदान चारण	—	—	—	—	—	—
66	श्री भोजराज सिंह	—	—	—	—	—	—
67	श्री प्रेम चन्द जैन	—	—	—	—	—	—
68	श्री गणेश राम बुरडक	—	—	—	—	—	—
69	श्री रामनिवास कुमावत	—	—	—	—	—	—
70	श्री मुकुट बिहारी माथुर	—	—	—	—	—	—
71	श्री बिजेन्द्र कुमार बिस्सा	—	—	—	—	—	—
72	श्री अशोक कुमार गुप्ता	—	—	—	—	—	—
73	श्री हेमन्त सिंह हापावत	—	—	—	—	—	—
74	श्री देवेन्द्र कुमार भारद्वाज	—	—	—	—	—	—
75	श्री दिनेश कुमार गौड	—	—	—	—	—	—

(Signature)
 जयपुर (कमलमती)

क्र. सं.	नाम अधिकारी	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	नियम	आरोप पत्र जारी होने का क्रमांक व दिनांक	जॉच अधिकारी की नियुक्ति तिथि	दिये गये दण्ड का विवरण	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
76	श्री खेमराज शर्मा	राज्य कार्य के प्रति लापरवाही बरतना।	17	—	—	—	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1405 दिनांक 3.4.12 द्वारा शासन उप सचिव, वन विभाग राज0 जयपुर को श्री खेमराज शर्मा तत्कालीन सवसं धौलपुर के विरुद्ध सी.सी.ए. 17 में अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाये गये हैं। प्रकरण में राज्य सरकार के पत्रांक प.11(4) वन/2004 जयपुर दिनांक 6.2.13 से आरोप पत्रादि की सुपाठ्य प्रतियाँ चाही गई। उक्त निर्देशों की अनुपालना में इस कार्यालय के पत्र दिनांक 27.2.13 द्वारा वांछित सुपाठ्य प्रतियाँ तत्काल भिजवाने के निर्देश मुवसं, भरतपुर को दिये गये। इसके पश्चात पत्र दिनांक 8.4.13 से वांछित प्रतियाँ पत्र वाहक के साथ इस कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिये गये। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 29.4.13 से तत्काल विशेष पत्रवाहक से वांछित पत्रादि इस कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिये एवं साथ ही राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कार्यवाही में कारित अनावश्यक विलम्ब का उत्तरदायित्व निर्धारण करने के निर्देश दिये गये।
77	श्री ओम प्रकाश चौधरी	—	—	—	—	—	—
78	श्री गौतम राम मेहता	—	—	—	—	—	—

क्र. सं.	नाम अधिकारी	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	नियम	आरोप पत्र जारी होने का क्रमांक व दिनांक	जॉच अधिकारी की नियुक्ति तिथि	दिये गये दण्ड का विवरण	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6	7	8
79	श्री मातादीन (एस.सी)	—	—	—	—	—	—
80	श्री नवनीत कुमार ठाकुर	वानिकी विकास परियोजना में कराये गये कार्यों के माइक्रोप्लान ए.जी.पार्टी को ऑडिट के समय उपलब्ध नहीं कराये जाकर उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना।	17	उवसं, भीलवाड़ा क्रमांक एफ.1() जॉच/ उवसं/ 10112 दि. 11.11.09	—	उवसं, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ.1() जॉच/ उवसं/ 12/5880-84 दि. 29.6.12 से परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।	श्री नवनीत कुमार ठाकुर द्वारा इस कार्यालय को अपील प्रस्तुत की गई जिस पर मूल अभिलेख एवं टिप्पणी मुख्य वन संरक्षक, अजमेर से अपेक्षित है।
81	श्री कूलमूषण शर्मा	—	—	—	—	—	—
82	श्री नरेन्द्र कुमार	—	—	—	—	—	—
83	श्री लायक अली	—	—	—	—	—	—
84	श्री राजीव कपूर	वानिकी विकास परियोजना में कराये गये कार्यों के माइक्रोप्लान ए.जी.पार्टी को ऑडिट के समय उपलब्ध नहीं कराये जाकर उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करना।	17	उवसं, भीलवाड़ा क्रमांक एफ.1() जॉच/ उवसं/ 10109 दि. 11.11.09	—	उवसं, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ.1() जॉच/ उवसं/ 12/5874-78 दि. 29.6.12 से परिनिन्दा के दण्ड से दण्डित किया गया है।	श्री राजीव कपूर द्वारा इस कार्यालय को अपील प्रस्तुत की गई जिस पर मूल अभिलेख एवं टिप्पणी मुख्य वन संरक्षक, अजमेर से अपेक्षित है।
85	श्री रामचन्द्र सिंह ओगरा	—	—	—	—	—	—
86	श्री अजीत कुमार सक्सेना	—	—	—	—	—	—
87	श्री मान सिंह मीणा (एस.टी)	—	—	—	—	—	—
88	श्री प्रहलाद राय बडगूजर	—	—	—	—	—	—
89	श्री सुरेश कुमार आबूसरिया (एस.सी)	—	—	—	—	—	—
90	श्री नानग सिंह (एस. सी)	—	—	—	—	—	—

सहायक वन संरक्षक, राजस्थान वन सेवा के विरुद्ध पुलिस एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दर्ज एफ.आई.आर. प्रकरणों का विवरण

प्रपत्र “ब”

क्र. सं.	नाम अधिकारी	एफ.आर. संख्या व दिनांक	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1	श्री धर्मपाल सिंह (एस.सी.)	—	—	—
2	श्री बृजमोहन शर्मा	प्राथमिक जाँच संख्या पी.1-2/233/2012 दिनांक 26.11.2012	प्रकरण सं० 4/03 सरकार बनाम मैसर्स हेरिटेज रिसोर्ट अजयबगढ़ में प्रस्तुत रिकार्ड को नजर अन्दाज कर नियत स्थान पर सुनवाई न कर व क्षेत्रीय वन अधिकारी टहला को उपस्थित हुए बिना ही उपस्थित बताया जाकर निर्णय दिनांक 29.1.2004 विभाग के विरुद्ध पारित करना।	उप वन संरक्षक, बाघ परियोजना सरिस्का द्वारा उक्त प्रकरण में श्री बी.एम. शर्मा के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु उनके पत्रांक गोपनीय/एलआरए/91/2012-13/9101 दिनांक 16.8.12 से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर को अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रारम्भिक जाँच दर्ज की गई है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	श्री रवि कुमार शर्मा	—	—	—
4	श्री जय प्रकाश	—	—	—
5	श्री प्रमोद कुमार पाण्डे	—	—	—
6	श्री महेश चन्द गुप्ता	—	—	—
7	श्री करण सिंह,	—	—	—
8	श्री रामावतार शर्मा	—	—	—
9	श्री हरलाल सिंह	—	—	—
10	श्री वीरपाल सिंह राणा	—	—	—
11	श्री ज्योति प्रकाश भाटी	—	—	—
12	श्री एल.एन. बंसल	—	—	—
13	श्री हनुमानाराम	—	—	—
14	श्री मनफूल सिंह	—	—	—

[Handwritten Signature]
 (Signature)
 जन्म (Date)

क्र. सं.	नाम अधिकारी	एफ.आर. संख्या व दिनांक	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
15	श्री सेडूराम यादव	—	—	—
16	श्री बेगाराम जाट	—	—	—
17	श्री राजकुमार जैन	—	—	—
18	श्री गणेश कुमार वर्मा	—	—	—
19	श्री सुभाष अग्रवाल	—	—	—
20	श्री सुहेल मजबूर	—	—	—
21	श्री नरपत सिंह चौधरी	—	—	—
22	श्री सत्यपाल ख्यालिया	—	—	—
23	श्री महेन्द्र सिंह राठौड़	—	—	—
24	श्री कुमार स्वामी गुप्ता	—	—	—
25	श्री उदयवीर सिंह	अपराध संख्या 242/2001 श्री उदयवीर सिंह रा.व.से. व अन्य में दि. 16.3.09 को निलम्बित किया गया।	वन मण्डल सवाईमाधोपुर में अमरेश्वर वृक्षारोपण वर्ष 1997 में भौतिक सत्यापन के दौरान मौके पर कम कार्य पाये जाने के कारण राज्य सरकार को रुपये 1,31,223/- की आर्थिक हानि पहुँचाने के प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 242/2001 दर्ज की गई।	राज्य सरकार द्वारा दिनांक 16.3.2009 को अभियोजन स्वीकृति प्रसारित की जाकर कार्मिक (क-3) विभाग के आदेश क्रमांक प.2(1)(171)का/क-3/शिका. /90 दिनांक 16.3.09 द्वारा निलम्बित किया गया। निलम्बन आदेश के विरुद्ध श्री उदयवीर सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 7590/2009 प्रस्तुत की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 6.7.09 को पारित आदेश की क्रियान्विति को स्थगित कर दिया गया था। उक्त आदेश के क्रम में कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 21.7.09 द्वारा श्री उदयवीर सिंह के निलम्बन आदेश दिनांक 16.3.09 को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 9.7.2012 से रिट संख्या 7590/09 खारिज की गई। उक्त आदेशों के क्रम में श्री उदयवीर सिंह सहायक वन संरक्षक द्वारा दिनांक 23.7.12 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में उपस्थिति दे दी गई है।
26	श्री पदम सिंह राठौड़	—	—	—
27	श्री किशन सिंह भाटी	—	—	—
28	श्री प्रताप सिंह चूडावत	—	—	—
29	श्री मोरध्वज सिंह	—	—	—
30	श्री योगेन्द्र सिंह कालवी	—	—	—
31	श्री अजीत कुमार ओझा	—	—	—

(Signature)
 (Official Stamp)
 (Official Stamp)

क्र. सं.	नाम अधिकारी	एफ.आर. संख्या व दिनांक	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
32	श्री रफीक मोहम्मद	—	—	—
33	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	—	—	—
34	श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	—	—	—
35	श्री आनंद स्वरूप अग्निहोत्री	—	—	—
36	श्री हरिकृष्ण सारस्वत	—	—	—
37	श्री देवेन्द्र प्रताप जागावत	—	—	—
38	श्री संजय प्रकाश भादू	—	—	—
39	श्री रमेश कुमार मालपानी	—	—	—
40	श्री राजेन्द्र कुमार हुडा	—	—	—
41	श्री जिग्नेश शर्मा	—	—	—
42	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	—	—	—
43	श्री सुदर्शन शर्मा	—	—	—
44	श्री नन्द लाल प्रजापत	—	—	—
45	श्री मुकेश सैनी	—	—	—
46	श्री वीरेन्द्र सिंह जोरा	—	—	—
47	श्री कालीचरण वर्मा	—	—	—
48	श्री जयकिशन जाट	—	—	—
49	श्री अर्जुनदान चारण	—	—	—
50	श्री विपिन कुमार गुप्ता	—	—	—
51	श्री करण सिंह टांक	—	—	—
52	श्री धर्मवीर	—	—	—
53	श्री हनुमंत सिंह	—	—	—
54	श्री अशोक कुमार पारीक	—	—	—
55	श्री कमल किशोर सोनी	—	—	—

[Handwritten signature]
 55
 (सहायक निरीक्षक)

क्र. सं.	नाम अधिकारी	एफ.आर. संख्या व दिनांक	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
56	श्री इन्द्रपाल सिंह पुनिया	वर्ष 2000-01 एवं 2001-02 में क्षेत्रीय वन अधिकारी नोहर (पर्यवेक्षकीय अधिकारी) रहते जलग्रहण कमेटी दलपतपुरा, भोगराणा, नहराणा, नगरासरी व लाखासर में मरू विकास कार्यक्रम के तहत वन विभाग के अधीन करवाये गये कलस्टर कार्यों में राजकीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही कर रिकार्ड का सही संधारण नहीं करवाकर अनियमितताएँ करना व राजकीय धन का दुरुपयोग करना।	—	पुलिस अधीक्षक— प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 1335-36 दिनांक 5.11.09 से (अ.सं. 238/06) आरोप पत्रादि मय अभिलेख इस कार्यालय में भिजवाये गये थे। जिसे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 4163 दि. 16.12.09 से उक्त प्रस्ताव मय रिकार्ड मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर को भिजवाकर प्रकरण में संबंधित लोकसेवक का स्पष्टीकरण प्राप्त कर पत्रादि मय टिप्पणी व प्रपत्रों एवं रिकार्ड सहित इस कार्यालय में भिजवाने हेतु लिखा गया। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 16.8.2010, 20.7.2011 से स्मरण कराया गया। इस कार्यालय के पत्र दिनांक एफ.18(6)2009/जॉच/प्रमुवसं/1121 दिनांक 19.3.2012 से मुवसं, बीकानेर को यह निर्देश दिये गये कि यदि लोकसेवकों द्वारा स्पष्टीकरण पेश नहीं किया जाता है तो उक्त आशय का उल्लेख प्रपत्र "स" में करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही के वांछित प्रस्ताव इस कार्यालय में प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर से अपेक्षित है।
57	श्री रंगलाल जाट	—	—	—
58	श्री कृष्ण गोपाल श्रीवास्तव	—	—	—
59	श्री धनश्याम शर्मा	—	—	—
60	श्री प्रेमसिंह शेखावत	—	—	—
61	श्री गोपाल बिहारी झालानी	—	—	—
62	श्री रमेश चौपडा	—	—	—
63	श्री कोशल किशोर सक्सेना	—	—	—
64	श्री कृष्णकान्त शर्मा	—	—	—
65	श्री सहस्र करणदान चारण	—	—	—
66	श्री भोजराज सिंह	—	—	—
67	श्री प्रेमचन्द जैन	—	—	—
68	श्री गणेशराम बुरडक	—	—	—
69	श्री रामनिवास कुमावत	—	—	—
70	श्री मुकुट बिहारी माथुर	—	—	—
71	श्री बिजेन्द्र सिंह बिस्वा	—	—	—
72	श्री अशोक कुमार गुप्ता	—	—	—

क. सं.	नाम अधिकारी	एफ.आर. संख्या व दिनांक	आरोपों का संक्षिप्त विवरण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
73	श्री हेमन्त सिंह हापावत	—	—	—
74	श्री देवेन्द्र कुमार भारद्वाज	—	—	—
75	श्री दिनेश कुमार गौड़	—	—	—
76	श्री खेमराज शर्मा	—	—	—
77	श्री ओम प्रकाश चौधरी	—	—	—
78	श्री गौतम राज मेहता	—	—	—
79	श्री मातादीन (एस.सी)	—	—	—
80	श्री नवनीत कुमार ठाकुर	92/97 दिनांक 21.4.97	आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना अन्तर्गत धारा 13(1)(ई)(2) पी.सी. एक्ट 1988	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा श्री नवनीत कुमार ठाकुर के विरुद्ध उक्त प्रकरण दर्ज किया जाकर अनुसंधान करने उपरान्त न्यायालय में चालान किये जाने का निर्णय लिया जाकर ए.सी.बी. रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज0 जयपुर कार्यालय को प्रेषित की गई एवं अभियोजन स्वीकृति चाही गई। इस कार्यालय के पत्रांक एफ.18(34)/85/जॉच/प्रमूवसं/446 दिनांक 27.4.2000 द्वारा श्री नवनीत कुमार ठाकुर के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की गई। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय (भ्रनिब्यूरो) उदयपुर के निर्णय दिनांक 31.3.08 द्वारा इन्हें सन्देह का लाभ देकर दोषमुक्त किया गया। भ्रनिब्यूरो के पत्रांक 1608 दिनांक 9.10.09 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं अपील विचाराधीन है। प्रकरण की नवीनतम जानकारी भ्रनिब्यूरो से ली जा रही है।
81	श्री कुलभूषण शर्मा	—	—	—
82	श्री नरेन्द्र कुमार	—	—	—
83	श्री लायक अली	—	—	—
84	श्री राजीव कपूर	—	—	—
85	श्री राम चन्द सिंह ओगरा	—	—	—
86	श्री अजीत कुमार सकसैना	—	—	—
87	श्री मानसिंह मीणा (एस.टी)	—	—	—
88	श्री प्रहलाद राय बडगुर्जर (एस.सी)	—	—	—
89	श्री सुरेश कुमार आबुसरिया (एस.सी)	—	—	—
90	श्री नानक सिंह (एस.सी)	—	—	—